

आदेश

राज्य में PPP संबंधी कार्यक्रमों, योजनाओं एवं प्रोजेक्ट्स के त्वरित, सुचारु, बेहतर तालमेल एवं समयबद्ध निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए आयोजना विभाग के अधीन संचालित PPP Cell को वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के अधीन हस्तान्तरित किया जाता है।

पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में वर्तमान में गठित निम्नांकित समितियों का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग के स्थान पर वित्त विभाग तथा कन्वीनर/सदस्य सचिव शासन सचिव, आयोजना विभाग के स्थान पर शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग को मनोनीत किया जाता है:—

- 1- Council for Infrastructure Development (CID) under the Chairmanship of Chief Minister.
- 2- Empowered Committee for Infrastructure Development (ECID) under the Chairmanship of Chief Secretary.
- 3- State Level Empowered Committee for Projects under Swiss Challenge Method.
- 4- Steering and Co-ordination Committee under the Chairmanship of Chief Secretary for time bound implementation of major infrastructure projects.

PPP Pipeline of Projects हेतु शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग को राज्य नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

PPP Cell को आयोजना विभाग से वित्त विभाग के अधीन स्थानान्तरित होने पर पीपीपी सेल के कार्य निम्नानुसार रहेंगे:—

- 1- To coordinate with DEA, NITI Aayog, and other Ministries of GoI and Line Departments of GoR on issues related PPPs.
- 2- To execute the works related to India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) and Viability Gap Funding (VGF) Schemes.
- 3- To execute the tasks related to National Infrastructure Pipeline (NIP).
- 4- To deal with the ID files related to PPP proposals received from Line Departments.

राजस्थान सरकार
वित्त (समन्वय) विभाग

- 5- To convene meetings of Council for Infrastructure Development (CID) headed by Hn'ble Chief Minister, Empowered Committee for Infrastructure Development (ECID) headed by Chief Secretary and State Level Empowered Committee (SLEC) headed by Chief Secretary and State Level Empowered Committee (SLEC) headed by Chief Secretary (under Swiss Challenge Method).
- 6- To organize meetings of Steering and Coordination Committee for time bound implementation of major infrastructure projects.
- 7- To organize periodic meetings with line departments and agencies, and finalize quarterly progress reports of State's PPP projects.
- 8- To deal with formulation of PPP Policies and Schemes.

यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदित है।


(महेन्द्र मोहन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सचिव, उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री), राजस्थान।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
6. शासन सचिव, आयोजना विभाग।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/विधि परामर्शी, वित्त विभाग।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव